राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्तभवन, जनपथ, जयपुर

email: pd.rghs@rajasthan.gov.in

Ph. No. 0141-2744570

क्रमांकः– एफ1(240)/मेडि./आरजीएचएस/2021/ 1239-45 दिनांकः–20.10.2021

परिपत्र–6 / 2021

विषयः– राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पति–पत्नी दोनों के कर्मचारी/पेंशनर होने की स्थिति के संबंध में।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पति एवं पत्नी दोनों के आरजीएचएस लाभार्थी होने की स्थिति में एक ही जनाधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गयी है। इस हेतु पति–पत्नी दोनों के कर्मचारी/पेंशनर होने की स्थिति में किसी एक की एसएसओ आईडी के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान पति अथवा पत्नी को कर्मचारी/पेंशनर चुनते हुए सत्यापित किया जाता है। उक्त के संबंध में सूचित किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में जिस लाभार्थी की एसएसओ आईडी से पंजीकरण किया गया है कि एसएसओ आईडी में ही आरजीएचएस कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प प्रदर्शित होगा। हांलाकि अन्य को पंजीकरण के दौरान सत्यापित कर लेने की स्थिति में दोनों की एसएसओ/कर्मचारी आईडी से पंजीकरण किया हुआ माना जायेगा। पति–पत्नी दोनों में से जिसकी एसएसओ आईडी से पंजीकरण सम्पन्न होगा उसी के मूल वेतन के आधार पर चिकित्सालय में अधिवास की पात्रता (Entitlement of Accommodation) का निर्धारण होगा।

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना
जयपुर।

क्रमांकः– एफ1(240)/मेडि./आरजीएचएस/2021/ 1239-45 दिनांकः–20.10.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. वरि. अतिरिक्त निदेशक, सर्तकता, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
5. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
6. समस्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय।
7. प्रभारी अधिकारी, समस्त राजकीय एवं आरजीएचएस अनुमोदित निजी चिकित्सालय।
8. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

Scanned with CamScanner